ईएसआई कॉर्पोरेशन वसूली में तगड़ी, खर्चे में पिछड़ी, 'रेफरल' में माहिर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) हरियाणा भर के 28 लाख मज़दूरों सहित देश भर के करीब पौने चार करोड़ मज़दूरों के वेतन से चार प्रतिशत वसूलने में तो कॉर्पोरेशन तगड़ी है। इसके विपरीत, उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में नितांत पिछड़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेशन के निष्क्रिय खजाने में हो रही वृद्धि का आंकड़ा एक लाख पचपन हज़ार करोड़ को पार कर चुका है।

कल्याणकारी राज्य होने का दावा करने के नाते प्रत्येक नागरिक को मुफ्त चिकित्सा सेवा देना राज्य का प्रथम कर्तव्य बनता है। इसके बावजूद औद्योगिक श्रमिकों को अधिक बेहतरीन सेवाएं देने के नाम पर ईएसआई कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया गया। इसके द्वारा मज़दूरों के वेतन से साढ़े छः प्रतिशत (जिसे अब घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है) वसूली का नियम बनाया गया था। इस कानून के तहत कॉर्पोरेशन ने वसूली तो जमकर की लेकिन सेवाएं देने से हमेशा कन्नी काटती रही। इसके परिणाम स्वरूप इसके खजाने में

जोनल मेडिकल कमिश्नर डॉ. वनोरा ई नोमग्रम

दिन दूनी-रात चौगुणी वृद्धि होती गई।

मज़दूरों से वसूले धन पर कुंडली मारे बैठा कॉर्पोरेशन बेहतरीन सेवाएं देने पर विचार करने के बदले हर समय यही सोचता रहता है कि किस प्रकार मज़दूरों को सेवाओं से वंचित करके मरने के लिये छोड़ दिया जाए। कॉर्पोरेशन के अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव के चलते मरीजों को व्यापारिक अस्पतालों में रेफ़र करने का प्रावधान है। लेकिन वहां, क्योंकि कॉर्पोरेशन को मोटे-मोटे रेफरल बिलों का भुगतान करना पड़ता है, इसलिये ताजातरीन आदेश के अनुसार व्यापारिक अस्पतालों के रेफरल को रोक कर सरकारी अस्पतालों को रेफर किया जाए। इन गांठ के पूरे व आंख के अंधों से कोई यह पूछे कि सरकारी अस्पतालों में जाने का रास्ता तो अन्य लोगों की तरह बीमाकृत मज़दूरों को भी पता है। इसके लिये उनके रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराना है तो कॉर्पोरेशन उनसे किस बात की वसूली कर रही है?

बीते मंगलवार को स्थानीय ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कॉर्पोरेशन की ज़ोनल मेडिकल कमिश्नर डॉ. वनोरा ई नोमग्रम ने दौरा किया। इनके अधिकार क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ व दिल्ली आते हैं। चंडीगढ़ से चलकर आई ये मोहतरमा यह देखने आईं थीं कि यहां का रेफरल व दवाओं का लोकल परचेज़ कितना है? इन्होंने सलाह दी कि सभी मरीज़ों को व्यापारिक अस्पतालों में रेफ़र न करके सरकारी अस्पतालों में किया जाए। जब उन्हें बताया गया कि यहां के किसी भी सरकारी अस्पताल में आईसीयू एवं अन्य किसी भी गंभीर इलाज की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोई बेड खाली नहीं रहता, इसकी जानकारी उन्हें रहती है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन उन्हें सरकारी में रेफर करके उनकी मौत का गुनाह अपने सिर नहीं ले सकता।

लोकल परचेज़ के बारे में उन्हें बताया गया कि कैंसर मरीज़ों के लिये उन्हें जो दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं वे रेट कॉंट्रैक्ट में शामिल ही नहीं हैं। दरअसल, ये दवाइयां इतनी महंगी होती हैं कि कॉर्पोरेशन के सामने मरीज़ों की जान बहुत सस्ती होती है। इसलिये दवाओं पर ख़र्च करने के बजाय कैंसर मरीज़ों को मरने के लिये छोड़ देना ही बेहतर समझा जाता रहा है।

दरअसल, बदनीयत एवं जनविरोधी कॉर्पोरेशन अधिकारियों के फ़रमान के मुताबिक मरीजों को पहले सरकारी अस्पतालों में रेफ़र किया जाए, वहां जगह न मिलने के बाद ही व्यापारिक अस्पतालों में भेजा जाए। सुधी पाठक समझ गए होंगे कि इसी रेफ़रबाज़ी के चक्कर में मरीज़ इलाज के अभाव में निपट जाएगा।

रेफ़रबाज़ी में दूसरा खेल मज़दूरों को भटकाने का खेला जाता है। मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली व गाजियाबाद आदि से मरीज़ों को यह जाने बगैर फ़रीदाबाद रेफ़र कर दिया जाता है कि यहां की वास्तविक स्थिति क्या है? इसके परिणामस्वरूप मरीज़ यहां से महीने दो महीने की तारीख लेकर अपना सिर धुनता हुआ चला जाता है। यदि कॉर्पोरेशन अधिकारियों को मज़दूरों से दुश्मनी न हो और उनके प्रति थोड़ी सी भी संवेदना हो तो तारीख लेने का यह खेल बड़ी आसानी से ईमेल एवं अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी खेला जा सकता है। इससे भी गंभीर सवाल यह उठता है कि रेफ़र करने या तारीखें लेने की नौबत ही क्यों आती है, क्यों नहीं कॉर्पोरेशन अपनी सेवाओं का समुचित विस्तार करती?

कॉर्पोरेशन रेफरल रोकने की बात तो करता है लेकिन मरीजों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिये न तो पर्याप्त स्टाफ देकर राज़ी है और न ही अन्य तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रति दिन 70-80 डायलिसिस के लिये कोई स्टाफ़ यहां नहीं है। केवल नौ सदस्यीय जो स्टाफ़ आईसीयू मरीजों के लिये हैं उसी स्टाफ़ से जबरन इतनी बड़ी संख्या में डायलिसिस कराये जा रहे हैं। कायदे से तो इन तमाम 70-80 मरीजों को व्यापारिक अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जाए तो कॉर्पोरेशन में बैठे निकम्मे अधिकारियों को पता चल पाएगा कि रेफरल होता कैसे है और रुकता कैसे है, और इसके जिम्मेवार कौन है?

नई डिस्पेंसरियां नहीं खुलेंगी

मज़दूरों से पैसा वसूल करने के बाद कॉर्पोरेशन ने चिकित्सा सेवाओं को अपने व राज्य सरकार के बीच इस कदर उलझा कर रखा हुआ है कि पैसा देने के बावजूद भी मज़दूर को वांछित सेवाएं न मिल सकें। ईएसआई नियमों के अनुसार डिस्पेंसरियों व अस्पताल की इमारतों का निर्माण व रखरखाव तो कॉर्पोरेशन ही करेगी, उसके बाद इलाज देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके खर्च का भी 88 प्रतिशत कॉर्पोरेशन ही वहन करेगी।

पुराने नियमों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई लागू करने के लिये सरकार द्वारा नोटिफिकेशन किया जाता था। लेकिन अब वो चक्कर खत्म करके पूरा देश ही नोटिफ़ाई कर दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के हर कोने में ईएसआई कॉर्पोरेशन वसूली तो कर पा रही है लेकिन सेवाएं देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। पहले नोटिफाइड एरिया होने पर ईएसआई को डिस्पेंसरी व अस्पताल की सुविधायें देनी होतीं थीं। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता कॉर्पोरेशन नहीं समझता। हाल ही में जारी फ़रमान के अनुसार कॉर्पोरेशन ने कोई भी नई डिस्पेंसरी की इमारत बनाने अथवा किराये पर लेने से साफ़ मना कर दिया है। इसके चलते कोसली, फ़र्रुखनगर व पटौदी सहित चार डिस्पेंसरियों को चलाने की योजना फ़िलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है।

ईएसआई का डॉक्टर : कुत्तों से प्यार, गर्भवती पर वार

मनोचिकित्सक डॉ० जे मेहर सिंह

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज-अस्पताल अपनी उत्कृष्ट फैकल्टी एवं बेहतरीन सेवाओं के लिये देश भर में प्रसिद्धि की नई-नई बुलंदियां छू रहा है। वहीं इस बेहतरीन संस्थान की छवि को दागदार बनाने में डॉक्टर जे मेहर सिंह कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लगता है कि उन्हें संस्थान की बढ़ती लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है।

अपनी उद्दंडता एवं महिला विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए इस नालायक डॉक्टर ने तीन अक्टूबर को एक गर्भवती महिला को केवल इसलिये अच्छा-खासा थप्पड़ जड़ दिया कि लिफ्ट में दोनों के बीच कोई कहा-सुनी हो गई। किसी भी प्रकार की कहा-सुनी, किसी को भी थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं देती, चाहे वह बड़े से बड़ा डॉक्टर अथवा अधिकारी ही क्यों न हो।

अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि मेहर सिंह ठेके पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर साइकेट्रिक विभाग में तैनात हैं। मरीज़ों को देखने में इनकी कोई रुचि नहीं रहती, हां दिन भर दायें-बायें घूमकर बीड़ी फूंकना व अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने में व्यस्त रहते हैं। वैसे भी इस विभाग में कभी भी 100 से अधिक की ओपीडी नहीं होती, जिन्हें देखने के लिये छह फैकल्टी, तीन एसआर तथा छः पीजी डॉक्टर, यानी कि कुल 15 डॉक्टर रहते हैं। वार्ड में भी नाममात्र के ही मरीज भर्ती रहते हैं। ऐसे ही एक भर्ती मरीज़ को देखने उसकी पत्नी आई थी जिसे इस डॉक्टर ने थपड़ा कर अपने सिरफिरे होने का सबूत पेश कर दिया।

कायदे से तो अस्पताल प्रशासन को पीड़ित महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए ऐसे नालायक डॉक्टर को संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिये था। परन्तु जब उन्होंने दोषी डॉक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की तो महिला ने मजबूरन पुलिस चौकी में पहुंच कर अपनी लिखित शिकायत दी। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार अस्पताल प्रशासन के रसूख एवं दबाव के चलते पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती करके मामले को रफ़-दफ़ा कर दिया।

साइकेट्री वार्ड में पुलिस के लिये आरक्षित होंगे बेड

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सर्वविदित है कि ईएसआई कॉर्पोरेशन केवल अपने बीमाकृत मज़दूरों को ही चिकित्सा सेवाएं दे सकता है। इसका उल्लंघन करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद एनएच तीन के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो-चार बेड नशेड़ी पुलिसकर्मियों के इलाज के लिये रखे जायेंगे।

यद्यपि इस मामले पर अधिकारिक तौर पर कोई कुछ स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है। समझा जा रहा है कि इस सिलसिले में ईएसआई मुख्यालय से पत्राचार शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों पुलिस के उच्चाधिकारियों ने भी इस सिलसिले में अस्पताल पहुंच कर यहां के बड़े अधिकारियों से बात भी की थी।

इस मामले में तर्क यह भी दिया जा रहा है कि साइकेट्री विभाग में बहुत सारे बेड खाली पड़े रहते हैं, इसलिये दो-चार बेड पुलिस वालों को देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तर्क तो यह भी दिया जा रहा है कि 'नशामुक्ति' एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसके तहत मेडिकल कालेज को अपना सामाजिक दायित्व निभाना होता है। तो क्या इस दायित्व में केवल पुलिस वाले ही आते हैं? पुलिस वालों को यदि इलाज कराना ही है तो सरकार ने बीके अस्पताल खोल रखा है, सेक्टर 14 में नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, छांयसा में इतना बड़ा अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज खोल रखा है। सरकार वहां क्यो नहीं कराती इलाज? ईएसआई पर ही क्यों गिद्ध दृष्टि लगी रहती है सरकार की?

बेशक अभी यह मामला पत्राचार एवं मुख्यालय की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। संस्थान के प्रशासन एवं मुख्यालय को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि जिन मज़दूरों के पैसे से यह संस्थान चल रहा है वे इस तरह की पुलिसिया घुसपैठ को कतई सहन करने वाले नहीं हैं। जिस दिन ऐसे किसी भी घुसपैठ की भनक मज़दूरों को लगेगी, उसी दिन संस्थान को मज़दूरों के भारी आक्रोश एवं प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।